न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 05 / 24 सन् 2024
GCMS NO-2024/28

बउनवानी:—1. श्रीमति तीजो पुत्री मांग्या पत्नि घनश्याम माली निवासी कुश्तला तह0 स0मा0
2. रामसहाय माता जो पुत्र घनश्याम माली निवासी ग्राम कुश्तला तह0 स0मा0
3. कैलाशी माता तीजो पुत्री घनश्याम माली निवासी ग्राम कुश्तला तह0 स0मा0
4. वर्मा माता तीजो पुत्री घनश्याम माली निवासी ग्राम कुश्तला तह0 स0मा0
5. कजोडी माता तीजो पुत्री घनश्याम माली निवासी ग्राम कुश्तला तह0 स0मा0
6. रख्खी पुत्री मांग्या पत्नि गिर्राज माली (मृतक)
7. जुगराज माता रख्खी पुत्र घनश्याम माली नि0 नीमचौकी मोहल्ला तह0 स0मा0
8. इन्द्रा माता रख्खी पुत्री नानगा माली निवासी इन्द्रगढ जिला बूंदी ,
9. राजेन्द्र उर्फ राजू माता रख्खी पुत्र गिर्राज माली नि0नीमचौकी मोहल्ला,स0मा0
10. छोटू माता रख्खी पुत्री गिर्राज माली निवासी नीम चौकी मोहल्ला शहर,सम0ा0

बनाम

1. श्योनारायण पुत्र मांग्या जाति माली निवासी जटवाडा खुर्द सवाईमाधोपुर (मृतक)
2. किस्तूरी बेवा श्योनारायण तहसील सवाईमाधोपुर
3. हनुमान पुत्र श्योनारायण माली निवासी जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
4. रामजीलाल पुत्र श्योनारायण माली निवासी जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
5. जानकी पुत्र श्योनारायण माली निवासी जटवाडा खुर्द तह0सवाईमाधोपुर
6. बदरी पुत्र मांग्या पिता श्योनारायण माली नि0 जटवाडा खुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
7. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा0 179 निर्णय दिनांक 17.9.2001 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:—1. श्री अजीजुद्दीन अहमद वकील अपीलान्ट
2. श्री हरीशंकर बैरवा वकील रेस्पो. 3—6

—: निर्णय :— दिनांक 18.12.2025

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज फैसल नामा संख्या 179 दिनांक 17.9.2001 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्टगण ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रख्खा,रामपाल,कल्याण,धूडिया,सीताराम,देवीराम,किशोर, बदरी,श्योनारायण,ने एक राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक, तकासमा स्थायी निषेधाज्ञा का आपसी षडयंत्र रचकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सवाईमाधोपुर के समक्ष इस आशय का पेश किया कि रख्खा ,रामपाल, श्योनारायण,बदरी वगै. की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है पहले हमारे बुजुर्गान के खाते में थी जिसका नियमनुसार तकासमा नही हुआ है वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से बंटवारा तकासमा की डिक्री दिनांक 8.5.1999 अन्तिम डिक्री 13.11.2000 जारी किया गया

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष अपील की गयी जो राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 15.4.2009 को स्वीकार कर उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 8.5.1999 एवं डिक्री दिनांक 13.11.2000 को निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्व सभी रेस्पो0 द्वारा मिलकर राजस्व मण्डल अजमेंर मे अपील दायर की गयी जो दिनांक 19.4.2022 को खारिज की जाकर राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 15.4.2009 को यथावत रखा गया है । इसलिए अब उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय 8.5.1999 एवं डिक्री दिनांक 13.11.2000 की पालना मे भरा गया नामा0 संख्या 179 दिनांक 17.9.2001 भी स्वतः निरस्त होने योग्य है किन्तु तहसीलदार द्वारा उक्त नामा0 को निरस्त नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 स्वंय ने न्यायालय मे उपस्थित होकर दौराने बहस कथन किया कि विवादत आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 179 दिनांक 17.9.2001 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 8.5.1999 एवं 13.11.2000 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है तथा उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का उक्त निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.4.2009 से खारिज किया जा चुका है। रेस्पो0 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय को माननीय राजस्व मण्डल मे चुनौती दी गयी किन्तु माननीय राजस्व मण्डल द्वारा रेस्पो0 की अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार अब उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का निर्णय 8.5.1999 एवं 13.11.2000 प्रभाव मे नही रहे है। इसलिए उक्त निर्णय के आधार पर दर्ज फैसल नामा0 स्वतः ही खारिज है।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट के अनुसार तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 179 दिनांक 17.9.2001 को उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 8.5.1999 एवं 13.11.2000 की पालना मे दर्ज फैसल किया गया है जो राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 15.4.2009 से खारिज किया जा चुका है तथा राजस्व अपील अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय 15.4.2009 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर के निर्णय दिनांक 19.4.2022 से यथावत रखते हुए रेस्पो0 की अपील खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार अब उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर का उक्त निर्णय प्रभाव मे नही होने से आदेश जैर अपील भी स्वतः ही प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (नामा0 179 दिनांक 17.9.2001) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner